

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ यो०ज०सं० ०४/२०१२

52

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर/हजारीबाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/ संबंधित कार्यपालक अभियंता –सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: १३.६.१२

विषय :-

माँग संख्या-४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष-८०—सामान्य, लघु शीर्ष-८००—अन्य व्यय, उप शीर्ष-४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-०५—निर्माण, ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण विपत्र कोड-४९P470180800460543 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट १ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)	
1	2	3	4	5	
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य/	८००—अन्य व्यय/ सिंचाई योजनाओं पुनर्स्थापन	४६— का	०५—निर्माण / ४३ अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण 49P470180800460543	77.25

आवंटित राशि – ₹ सतहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ६५०.०० लाख (छ: करोड़ पचास लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

११.६६
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

४४०८
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभिः)

५५०८
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

52

रॉची, दिनांक :- *13.6.12*

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. – हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/हजारीबाग/बोकारो/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त्।

लि
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

52

रॉची, दिनांक :- *13.6.12*

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

11.6.12
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

11.6.12
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

11.6.12
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

11.6.12
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....
59

का अनुलग्नक

दिनांक 13.6.12

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49—जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80—सामान्य,

लघु शीर्ष-800—अन्य व्यय
उप शीर्ष - 46— सिंचाई योजनाओं का पुनर्खण्डन ।

विस्तृत शीर्ष-05—निर्माण, 43—अनुरक्षण , मरम्मति एवं सुरक्षाकारण, 49P470180800460543
वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 650.00 लाख (छ. करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र ।

क्र. प्रांडल का नाम	मुख्य अधिकारी	योजना का नाम	प्रशासनिक रखीकृति का			मार्च 2012 तक का ज्ञाय	वर्तमान आवंटन	पूर्व का आवंटन	कुल आवंटित आमुखित
			राशि	प्रसंग	4				
1	2	3				5	6	7	8
								9	10
									11
1	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	मेदिनीनगर	अन्नराज जलाशय योजना के गेटों का याँत्रिक कार्य ।		0.00	0.00	10.00	10.00	
2	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा	मेदिनीनगर	जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजना का मरम्मति कार्य ।		0.00	0.00	40.00	40.00	
3	रुपांकण प्रमण्डल, सं०-१, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	बटाने वाया मुख्य के चेन 66.00 पर क्षतिग्रस्त सी०डी० संरचना का मरम्मति कार्य ।		0.00	0.00	5.25	5.25	345.84
4	तेनुधाट बौध प्रमण्डल, तेनुधाट	हजारीबाग	तेनु बोकारो लिंक नहर के चेन 74.00 पर क्षतिग्रस्त सी०डी० का मरम्मति कार्य ।		0.00	0.00	5.00	5.00	
5	तेनुधाट बौध प्रमण्डल, तेनुधाट	हजारीबाग	तेनुधाट के स्पीलवे गेट, तेनुधाट डेम के रेडियल गेट, गोबई वराज के गेट एवं खुदिया वीयर के गेट का मरम्मति एवं संपोषण कार्य ।		0.00	0.00	5.00	5.00	
5	तेनुधाट बौध प्रमण्डल, तेनुधाट	हजारीबाग	तेनुधाट बांध के ऊपरी सड़क का मरम्मति कार्य	76.22	24 / 09-10 दि 01.03.10	64.22	0.00	12.00	12.00
			कुल योग		64.22	0.00	77.25	77.25	

आवंटित राशि – ₹ सतहतर लाख पच्चीस हजार मात्र ।

11.6.1
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अधिकारी

सुबोध कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव (अभि०)

वी. सी. निगम
(विशेष सचिव)

८३० के० शतपथी
प्रधान सचिव